# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
## राजस्व वादपत्र संख्या :– 69/2013

1. सतपाल सिंह उम्र 12 वर्श ┐ पिसरान नोखा सिंह पौत्र धर्मसिंह उर्फ हाकम सिंह
2. सन्दीप सिंह उम्र 10 वर्श ┘ साकिन चक 1 केजेडी तहसील खाजूवाला जरिये कुदरतीवली माता कर्मजीत पत्नि नोखा सिंह।

.....वादीगण

**बनाम**

1. धर्मसिंह उर्फ हाकम सिंह पुत्र सरदार सिंह ┐ जाति मजबी सिक्ख निवासीगण
2. नोखा सिंह पुत्र धर्मसिंह उर्फ हाकम सिंह ┘ चक 1 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. उप पंजियक खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाश्कगण :–

1. श्री सुभाश बिश्नोई अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

**–: निर्णय :– दिनांक :– 14.01.2020**

यह वादपत्र वादीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पड़दादा कि भूमि व सम्पति को वादीगण के दादा ने संयुक्त परिवार के मुखिया के नाते विक्रय कर वादगत भूमि के मु.न. 100/9 के कि.न. 1 ता 25 व मु.न. 99/16 के कि.न. 24,25 की कुल तादादी 25.10 बीघा भूमि चक 1 केजेडी (ए) में स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण का हक जन्म से निहित है। वादीगण की माता व पिता के मध्य विवाद चल रहा है जिसके संबध में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग घड़साना में एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.स. जैरकार है। वादीगण के दादा ने मुताबिक पंचायती बंटवारा व समझौता के वादगत भूमि में से उनका हिस्सा पांति बांटकर दिया था जिसके अनुसार कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 व 20, 21 कुल 10.02 बीघा भूमि का कब्जा वादीगण को सौंप दिया था जिसमें वादीगण की 2 बुआ मंजीत कौर व कर्मजीत कौर का हिस्सा भी था। इन दोनों ने वादीगण के पक्ष में अपना–अपना हिस्सा छोड़ दिया था जिसमें पूरे परिवार की रजामंदी व सहमति थी। यह कि उक्त बंटवारे के बाद वादीगण ने अपना हिस्सा पांति कि भूमि पर काबिज होकर कड़ी मेहनत व काफी रूपया खर्च कर भूमि सुधार कर भूमि को खेती योग्य बनाया था तथा वादीगण समय–समय पर लगान आदि राजकोश में जमा करवाते रहे है। यह कि वादीगण की माता व पिता दोनों अलग–अलग रहते है जिस पर जिस कारण प्रतिवादी सं.1 ता 2 ने 3–4 के साथ ाडयंत्र रचकर वादीगण की कब्जा का त ाुदा भूमि येन–केन विक्रय करने पर आमादा है। जबकि बगैर खाता विभाजन उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कि इस आ ाय की घोश्णा की जावे कि वादीगण की कब्जे ाुदा भूमि वाके चक 1 केजेडी (ए) के मु.न. 100/9 के कि.न. 1 ता 25 व मु.न. 99/16 कि.न. 24, 25 की कुल तादादी 25.10 बीघा में से मु.न. 100/9 के कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 20, 21 कुल

10.02 बीघा का वादीगण को पारिवारिक समझोते/पंचायती एंव वाहमी बंटवारे अनुसार दादा कि उक्त सम्पति का पिता के हको तक अधिकारी खातेदारी घोशित कर भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कर खातेदार घोशित किया जावे।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वकील प्रतिवादीगण को उचित अवसर प्रदान करने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर वकील वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी। जिसमें वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसार अनुतोश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन करने से इस निश्कर्श पर पहुंचे है कि वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि से वादीगण के मध्य बंटवारा किया जाता है कि वादीगण में से प्रत्येक को दादा की सम्पति में से 1/7 में से 1/3 हिस्सा निहित उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला को दर्ज रिकार्ड करने के आदे ा दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)